बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक : 18/वि 01–12/2023 ...306...   पटना, दिनांक 08/01/2026

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु राज्य के 38 जिलान्तर्गत अवस्थित 534 प्रखंडों के साधन सम्पन्न माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिष्ठापित आधार मशीन के लिए आधार ऑपरेटरों को जिला शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय के प्रधानाध्यापक/आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा अनुबंधित दर पर बकाया मानदेय भुगतान हेतु कुल रू० 79,34,88,000/– (उनासी करोड़ चौतीस लाख अठासी हजार रूपये) मात्र में से तत्काल रू० 2,80,02,252/–(दो करोड़ अस्सी लाख दो हजार दो सौ बावन रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं व्यय की विमुक्ति के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु राज्य के 38 जिलान्तर्गत अवस्थित 534 प्रखंडों के साधन सम्पन्न माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिष्ठापित आधार मशीन के लिए आधार ऑपरेटरों को जिला शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय के प्रधानाध्यापक/आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा अनुबंधित दर पर बकाया मानदेय के भुगतान हेतु रू० 2,80,02,252/–(दो करोड़ अस्सी लाख दो हजार दो सौ बावन रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. राज्य में अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थियों का आधार कार्ड नहीं होने के कारण वे **DBT** से वंचित रह जाते हैं। साथ ही विद्यार्थियों के नामांकन में दोहरीकरण की भी समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य के वैसे विद्यार्थी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, का आधार कार्ड विद्यालय स्तर पर बनवाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत आधार मशीनों का बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के तत्वाधान में राज्य के 38 जिलों में अवस्थित 534 प्रखंडों के दो साधन संपन्न माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधार मशीन का अधिष्ठापन किया गया। उक्त मशीनों के संचालन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय के प्रधानाध्यापक/आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवा लेने हेतु निर्देश जारी किया गया। इन आधार ऑपरेटरों के मानदेय का भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रू० 79,34,88,000/– (उनासी करोड़ चौतीस लाख अठासी हजार रूपये) मात्र का उपबंध है। उपबंधित राशि से उक्त आधार ऑपरेटरों का बकाया मानदेय भुगतान हेतु तत्काल रू० 2,80,02,252/–(दो करोड़ अस्सी लाख दो हजार दो सौ बावन रुपये) मात्र उपबंधित राशि के अंतर्गत किया जाना है।

2. स्वीकृत राशि का आवंटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा विभागीय पत्रांक–779 दिनांक–23.07.2024 में दिये गये निदेश के आलोक में जिला के माध्यमिक विद्यालयों/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित आधार निर्माण केन्द्रों में कार्यरत आधार ऑपरेटरों का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा उन्हें

जिस दर पर अनुबंधित की गई है, उसी दर पर उनके मानदेय का भुगतान अनुमान्य होगा। जिलावार भुगतान योग्य राशि की सूची संलग्न है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत राशि रू० 2,80,02,252/–(दो करोड़ अस्सी लाख दो हजार दो सौ बावन रुपये) मात्र का विकलन माँग संख्या–21, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–02 माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष 109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उप शीर्ष–0001 अन्य विद्यालय विपत्र कोड–21–2202–02–109–0001 विषय शीर्ष–2804–व्यवसायिक/कला/ तकनीकी सेवायें संगत शीर्ष में उपलब्ध राशि रू० 79,34,88,000/– (उनासी करोड़ चौतीस लाख अठासी हजार रूपये) मात्र से किया जायेगा।

4. इसका अनुश्रवण राज्य स्तर पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक द्वारा की जायेगी। राशि के भुगतान के पूर्व दिनांक–31.03.2025 के पश्चात् आधार ऑपरेटर से कार्य लिए जाने के औचित्य के निर्धारण का दायित्व संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी।

5. उक्त राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाय।

6. मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 (समय–समय पर यथासंशोधित) के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय की जायेगी।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–12888, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. संचिका संख्या 18/वि0 01–12/2023 के टिप्पणी **नोट–196** पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग की सहमति प्राप्त है।

11. संचिका संख्या 18/वि0 01–12/2023 के टिप्पणी नोट–203 पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

12. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांकः— 18 / वि0 01—12 / 2023 .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः— संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / —

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांकः— 18 / वि0 01—12 / 2023......... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः— निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) / वित्त विभाग (योजना एवं बजट) / योजना एवं विकास विभाग / संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी / संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) / बजट पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—05 (बजट शाखा) / लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / —

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांकः— 18 / वि0 01—12 / 2023 306 पटना, दिनांक 08/01/2026

प्रतिलिपिः— प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।